[2022] 1 एस. सी. आर 1177

एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड

वी.

सुबीर चक्रवर्ती और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 1637)

25 फरवरी, 2022

[ए. एम. खानविलकर और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002: एस. 14 (1ए)-सुरक्षित परिसंपत्तियों और दस्तावेजों का कब्जा लेने के लिए एक अधिवक्ता को नियुक्त करने और अधिकृत करने और एस के आधार पर सुरक्षित लेनदारों को अग्रेषित करने के लिए सीएमएम/डीएम की शक्ति। 14 (1ए) 2002 अधिनियम-आयोजितः 2002 के अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए उपायों को अपनाकर सशक्त बनाना है।

पुनर्प्राप्ति या पुनर्निर्माण - धारा 13 (4) में कहा गया है कि जब उधारकर्ता द्वारा अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करने में चूक की जाती है, तो

सुरक्षित लेनदार एक या अधिक उपायों का सहारा ले सकता है-उपायों में से एक उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेना है-यदि सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेना चाहता है, तो आवेदन यू/एस। 14 सी. एम. एम./डी. एम. को लिखित रूप में भेजा जाना चाहिए - संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 14 (1ए) में प्रावधान है कि सीएमएम/डीएम उपरोक्त के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकते हैं।

उद्देश्य सी. एम. एम./डी. एम. पर निहित वैधानिक दायित्व है

एस के तहत लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई करना। 14 (1) 2002 के अधिनियम में न्यायिक रूप से कार्यात्मक है

सी. एम. एम./डी. एम. और अदालत के एक अधिकारी होने के नाते अधिवक्ता के बीच अधीनस्थ संबंध-केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कोई नियम नहीं है जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से सी. एम. एम./डी. एम. को कब्जा लेने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त करने से रोकता है।

इसलिए, कार्यात्मक अधीनस्थता परीक्षण लागू करके, सी. एम. एम./डी. एम. एस. के उद्देश्य के लिए एक अधीनस्थ अधिकारी के रूप में अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं।

14 (1(क) 2002 के अधिनियम का।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर अपीलों की अनुमति देना और

(4) . एक उपाय यह है कि उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाए, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है। 2002 के अधिनियम की धारा 14 में भविष्यवाणी की गई है कि यदि सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का इरादा रखता है, तो उसे लिखित रूप में एक आवेदन के माध्यम से सीएमएम/डीएम से संपर्क करना चाहिए और इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर सीएमएम/डीएम को सही तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। गंभीर। उस पर आदेश पारित करने के बाद, उसे (सीएमएम/डीएम) सुरक्षित परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

2002 के अधिनियम की धारा 14 (2) के साथ पठित धारा 14 (1) के संदर्भ में सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित किए जाने के संबंध में। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 14 (2) एक सक्षम प्रावधान है और सीएमएम/डीएम को ऐसे कदम उठाने और बल प्रयोग करने की अनुमति देता है, जो उनकी राय में आवश्यक हो सकता है। यह स्थिति 2013 के संशोधन यानी उप-धारा (1ए) के सम्मिलन से पहले भी प्राप्त की गई थी और आज तक जारी है। उप-धारा (1ए) एक व्याख्यात्मक प्रावधान की प्रकृति में है और यह केवल अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी की सेवा लेने में सीएमएम/डीएम की अंतर्निहित शक्ति को दोहराती है। उप-धारा (1ए) का समावेशन पहली बार सीएमएम/डीएम में एक नई शक्ति का निवेश करने के लिए नहीं है। [पारस 22,23,24] [1198-जी-एच; 1199-ए-बी; 1195-सी-डी; 1199-एफ-एच]

2. सी. एम. एम./डी. एम. को लिखित आदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद कार्रवाई करने का वैधानिक दायित्व सौंपा गया है।

सुरक्षित एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड से 2002 अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत आवेदन।

वी. सुबीर चक्रवर्ती

उस उद्देश्य के लिए लेनदार। यह सामान्य ज्ञान है कि संबंधित क्षेत्राधिकार में केवल एक सीएमएम/डीएम है। अगर वह

सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक और मंत्रिस्तरीय कार्य। अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी होता है। [पारस 28,29,36] [1204-जी-एच; 1205-सी-डी; 1210-सी-डी] 3. जबकि, "कार्यात्मक अधीनता" परीक्षण को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1ए) सी. एम. एम./डी. एम. के लिए एक वकील (अदालत के एक अधिकारी) की सेवाओं को संलग्न करने में कोई बाधा नहीं है-केवल सुरक्षित संपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए।

सुरक्षित लेनदार के लिए भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से नियुक्त अधिवक्ता को सी. एम. एम./डी. एम. के कार्यालय में या सार्वजनिक सेवा में रोल पर होना चाहिए। सी. एम. एम./डी. एम. और अदालत के एक अधिकारी होने के नाते अधिवक्ता के बीच आंतरिक न्यायिक कार्यात्मक अधीनस्थ संबंध होता है। अधिवक्ता आयुक्त द्वारा 2002 अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत पारित सीएमएम/डीएम के आदेशों के अनुचित निष्पादन के बारे में उधारकर्ताओं की आशंका स्पष्ट रूप से गलत है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सी. एम. एम./डी. एम. द्वारा नियुक्त अधिवक्ता उसे सौंपे गए कार्य का दुरुपयोग करेगा और उसे पूरा नहीं किया जाएगा।

कानून के अनुसार सख्ती से या यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला होगा। बल्कि, अदालत के अधिकारी अधिवक्ताओं पर व्यक्त संस्थागत विश्वास या विश्वास के अनुसार, यह धारणा होनी चाहिए कि यदि किसी अधिवक्ता को 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत सीएमएम/डीएम द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।

कि जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन कानून के नियमों के अनुसार ईमानदारी से किया जाएगा। [पैरा 42] [1212-ई-एच; 1213-ए

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक बनाम डी. विशालाक्षी और अन्र।

[2019] एससीआर 177-पर निर्भर था।

मुहम्मद अशरफ और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर. 2009 केरल 14; द फेडरल बैंक लिमिटेड,

एर्नाकुलम बनाम। ए. वी. पुन्नस एयर 2014 केरल 7; वी. एस. सुनीता बनाम फेडरल बैंक लिमिटेड 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर

12866 ; एस. चंद्रमोहन और अन्र। वी. मुखिया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, एगमोर, चेन्नई और अन्य। 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 7869; राहुल चौधरी बनाम।

आंध्र बैंक और अन्य। 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 284; मेसर्स। जे. मार्क्स एक्जिम (इंडिया) प्रा. लिमिटेड वी. पंजाब नेशनल बैंक 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2246; सकिरी वासु बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [2007] 11 एस. सी. आर. 980; दत्तात्रेय मोरेश्वर बनाम। द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। [1952] एस. सी. आर. 612; महादेव गोविंद घरगे और अन्य। वी. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, ऊपरी कृष्णा परियोजना, जामखंडी, कर्नाटक [2011] 8 एससीआर 829; संग्राम सिंह बनाम।

चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और अन्र। [1955] एस. सी. आर. 1; ए. सेंट अरुणाचलम पिल्लई बनाम। एम/एस। सदर्न रोडवेज लिमिटेड और एन. आर. 1960 एस. सी. आर. 764; एस. कृष्णस्वामी मुदलियार और अन्र। वी. पी. एस. पलानी पिल्लई और अन्र। ए. आई. आर. 1957 मैड 599; बी. वीरास्वामी और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1959 ए. पी. 413; ललित मोहन दास बनाम। महाधिवक्ता, उड़ीसा और अन्र। [1957] एससीआर 167; ओ. पी. शर्मा और अन्य। वी. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय [2011] 6 एससीआर 301; सतीदेवी बनाम। प्रसन्ना और अन्र। [2010] 6 एससीआर 657; एम/एस। हीरालाल रतनलाल आदि। वी. उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य आदि। [1973] 2 एस. सी. आर. 502; दीपक बाबरिया और अन्र। वी. गुजरात राज्य और अन्य। [2014] 2 एससीआर 71

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 11 एससीआर 980

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[1952] एससीआर 612

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2011] 8 एससीआर 829

पै

रा 12

संदर्भित किया गया है

[1955] एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

[1960] एससीआर 764

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[1957] एससीआर 167

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[2011] 6 एससीआर 301

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2010] 6 एससीआर 657

पै

रा 43

संदर्भित किया गया है

[1973] 2 एससीआर 502

पै

रा 43

संदर्भित किया गया है

[2014] 2 एससीआर 71

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[2019] एससीआर 177

उस पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.1637

2022 .

उच्च न्यायालय के 06.11.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की रिट याचिका (एल) 28480 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

के साथ

सिविल अपील सं। 1638 , 1639 और 2022 का 1640 और एस. एल. पी. (सिविल)

2020 का No.12011।

राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मनीष शंकर श्रीवास्तव, सुश्री.

कल्पना, सुश्री पल्लवी बघेल, अभिषेक कुमार सिंह, विराज कदम, सौम्या दत्ता, देवेंद्र कुमार सिंह, करुणाकर महालिक, मनोरंजन मिश्रा, गौरंगा बिस्वाल, बी. रघुनाथ, श्रीराम पी., सुश्री एन. सी. कविता, पवन के. डबास, सुश्री प्रेरणा रॉबिन, सुश्री मुस्कान गर्ग, सुश्री जेसिका भारद्वाज, सुश्री डेज़ी हन्ना, सुश्री कनिका शर्मा, सुश्री ओइंद्रिला सेन, एम. एल. गणेश, के. वी. विजयकुमार, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इन मामलों में शामिल मौलिक प्रश्न हैः क्या यह है

जिला मजिस्ट्रेट 1 या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 2 के लिए खुला प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 (1ए) के अर्थ के भीतर एक अधिवक्ता की नियुक्ति करना और उसे सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए अधिकृत करना।

संक्षेप में 1, संक्षेप में "डीएम" 2, संक्षेप में "सीएमएम" 3, "2002 अधिनियम" [2022] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. बॉम्बे में उच्च न्यायालय ने 2019 की रिट याचिका (एल) No.28480 में दिनांकित 6.11.2019 के फैसले और आदेश के माध्यम से राय दी कि अधिवक्ता, सीएमएम या डीएम के अधीनस्थ अधिकारी नहीं होने के नाते, ऐसी नियुक्ति अवैध होगी। इस निर्णय के खिलाफ, संबंधित पक्षों द्वारा चार अलग-अलग अपील 3 दायर की गई हैं। दूसरी ओर, मद्रास में उच्च न्यायालय ने 2020 के सी. आर. पी. No.790 में दिनांकित 18.3.2020 के फैसले और आदेश के माध्यम से निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया हैः उसी उच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय इस तर्क पर कि अधिवक्ता को न्यायालय का एक अधिकारी माना जाता है और इस प्रकार, सीएमएम या डीएम के अधीनस्थ माना जाता है। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, इसने सुरक्षित लेनदार (केनरा बैंक) द्वारा दायर नागरिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी। इस फैसले के खिलाफ उधारकर्ताओं द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

3. केरल के उच्च न्यायालय (मुहम्मद अशरफ और अन्न में। बनाम भारत संघ & Ors.[3]; फेडरल बैंक लिमिटेड, एर्नाकुलम बनाम.

ए. वी. पुन्नस; और वी. एस. सुनीता बनाम। फेडरल बैंक लिमिटेड), मद्रास (एस. चंद्रमोहन और अन्न में। बनाम। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई और दिल्ली (राहुल चौधरी बनाम दिल्ली)। आंध्र बैंक और Ors.[1]2) ने वही दृष्टिकोण अपनाया है जो मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका 1 3 में केनरा बैंक के मामले में लगाया गया है।

4. इसके अतिरिक्त एम/एस में उक्ति पर भरोसा करना। जे. मार्क्स एक्जिम (इंडिया) प्रा. लिमिटेड बनाम। पंजाब नेशनल बैंक 1 4 ने बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्णय लिया, यह आग्रह किया गया कि बंबई उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने विचाराधीन मुद्दे का जवाब सुरक्षित लेनदारों के पक्ष में और उधारकर्ताओं के खिलाफ उसी तर्ज पर दिया था जैसा कि अन्य तीन उच्च न्यायालयों, अर्थात् उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया था।

4 संक्षेप में, "बॉम्बे हाई कोर्ट" 5 सिविल अपील संख्या 2022 @एसएलपी (सिविल) No.30240 2019 की; सिविल अपील संख्या 2022 @एसएलपी (सिविल) No.2055 2020 की; सिविल अपील संख्या 2022 @एसएलपी (सिविल) संख्या 2022 @डायरी No.17059 2020 की; और सिविल अपील संख्या 2022 @एसएलपी (सिविल) संख्या 2022 @डायरी No.23733 2020 की

9 9 आकाशवाणी 2014 केरल 7 10 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 12866 1 11 2014-5-एल. डब्ल्यू. 620 : 2014 एससीसी ऑनलाइन मैड 7869 12 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 284

13 फुटनोट संख्या 7 देखें।

14 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 2246 एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

केरल, मद्रास और दिल्ली के न्यायालय। हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष विवादित बॉम्बे उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के फैसले में, यह देखा गया है कि उक्त निर्णय में उस सटीक प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था जिसे विवादित फैसले में निपटाया गया है।

5. संक्षेप में कहा गया है कि विचाराधीन प्रत्येक मामले में, सीएमएम/डीएम ने कथित रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वकील नियुक्त किया

2002 अधिनियम की धारा 14 (1ए) के तहत। बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न मामलों में, उधारकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया था कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तीसरा न्यायालय, एस्प्लेनेड, मुंबई सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर आवेदन पर

(बैंक) ने 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए एक वकील की नियुक्ति की गई और उनसे संबंधित दस्तावेज और उन्हें सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करना। एसीएमएम द्वारा पारित आदेश रिकॉर्ड करता है कि बैंक के पास था

रुपये की राशि में ऋण का अग्रिम भुगतान किया। उन उधारकर्ताओं को, जिन्होंने गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई में 'कल्पतरु पिनेकल' के नाम से जानी जाने वाली एक इमारत में दो बेसमेंट कार स्थानों के साथ फ्लैट (आईडी2), 26वीं मंजिल, इमारत (आईडी3) को गिरवी रखा था। इसके अलावा, उधारकर्ताओं ने 30.10.2017 पर चूक की थी। उनके खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था। ए के रूप में अगली कड़ी, 13.11.2017 पर, 2002 अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था और पंजीकृत डाक ए. डी. द्वारा पोस्ट किया गया था।

'सूचना पोस्ट' के साथ वापस किया गया जिसका अर्थ है कि नोटिस दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं थे। आदेश में आगे लिखा गया है कि बैंक ने उधारकर्ताओं को साठ दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 31.12.2017 पर प्रकाशन द्वारा नोटिस दिया। हालांकि, ऋण की राशि का भुगतान नहीं किया गया। नतीजतन, सुरक्षित लेनदार ने उचित निर्देश पारित करने के लिए ए. सी. एम. एम. से संपर्क किया, जिस आवेदन पर 26.7.2019 दिनांकित आदेश एक वकील की नियुक्ति के लिए पारित किया गया। वकील द्वारा 11.10.2019 पर उधारकर्ताओं को इसकी जानकारी दी गई थी। उस आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका 1 7 के माध्यम से उधारकर्ता

भारत सरकार, जो उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से तय किया गया है कि 2002 अधिनियम की धारा 14 (1ए) सीएमएम/डीएम को एक वकील को अधिकृत करने की अनुमति नहीं देती है। प्रावधान में उपयोग की गई भाषा काफी स्पष्ट है। इस तरह के प्रतिनिधिमंडल को केवल एक

15 संक्षेप में, "एसीएमएम" 16 संक्षेप में, "एनपीए" 17 2019 [2022] की लिखित याचिका (एल) No.28480 1 एस. सी. आर.

अधीनस्थ अधिकारी और कोई और नहीं। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया

कि अधिक बोझ से दबे सीएमएम/डीएम के पास अपर्याप्त अधीनस्थ कर्मचारी थे और सुरक्षित लेनदार के लिए सुरक्षित संपत्ति का निपटान करके बकाया राशि का कब्जा लेना और उसका भुगतान करना मुश्किल होगा, यदि लगभग असंभव नहीं होगा। उच्च न्यायालय उस तर्क से प्रभावित नहीं हुआ और उसने उक्त प्रावधान का सख्ती से अर्थ निकालने को प्राथमिकता दी। सुरक्षित लेनदारों ने इस न्यायालय के समक्ष अपील 1 8 के माध्यम से इस निर्णय पर हमला किया है।

6. निर्णय से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका 1 9 पर लौटना

मद्रास उच्च न्यायालय। बैंक ने उधारकर्ताओं को उनकी संपत्ति को गिरवी रखने पर ऋण दिया था। साफ करने की मांग के बावजूद बकाया, ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, बैंक ने खाते को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया और उसके बाद 2002 के अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं को सूचना दी। आखिरकार, बैंक ने अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से संपत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया

कब्जे का नोटिस जारी करने के बाद। यह दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। उधारकर्ताओं ने 2002 के अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उन्हें जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी। यह चुनौती असफल रही। इसके बाद, बैंक ने सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सीएमएम के समक्ष आवेदन दायर करके 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की। उधारकर्ताओं ने 2019 का एस. ए. No.59 आवेदन दाखिल करके बिक्री सूचना को चुनौती दी। उधारकर्ताओं के पक्ष में और बैंक को सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा नहीं दी गई थी। इसलिए, बैंक ने सीएमएम के समक्ष 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन का पीछा किया, जिसका निपटान सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करके किया गया। इसके बाद, उधारकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन, 2019 का एस. ए. No.59 होने के कारण, खारिज कर दिया गया। मध्यावधि में, उधारकर्ताओं ने 2019 के एस. ए. No.399 में एक और आवेदन दायर किया, जिसमें सी. आर. एल. में एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करते हुए सी. एम. एम. द्वारा पारित दिनांकित 6.8.2019 आदेश को चुनौती दी गई। 2019 का एम. पी. No.2995 ऋण वसूली न्यायाधिकरण II 2 0, चेन्नई ने 2019 के S.A.No.399 को अन्य बातों के साथ अनुमति देते हुए कहा कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1) के प्रावधान के खंड (i) से (ix) के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का सुरक्षित लेनदार (बैंक) द्वारा पालन नहीं किया गया था और किसी भी मामले में, 18 फुटनोट संख्या 5 19 देखें फुटनोट संख्या 7 20 संक्षेप में, "न्यायाधिकरण" एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड।

वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिवक्ता आयुक्त अवैध था। न्यायाधिकरण ने 4.2.2020 दिनांकित आदेश के माध्यम से चुनौती की अनुमति दी। उस निर्णय पर बैंक ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष नागरिक पुनरीक्षण याचिका 2 1 के माध्यम से हमला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 9 में अपने विचार के लिए उत्पन्न होने वाले दो मुद्दों का उल्लेख किया। पहला मुद्दा 2002 के अधिनियम की धारा 14 के खंड (i) से (ix) के गैर-अनुपालन की याचिका पर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की शुद्धता के बारे में था। इसे स्पष्ट रूप से गलत होने के कारण दरकिनार कर दिया गया (विवादित निर्णय के पैराग्राफ 10 और 11 देखें)। तथापि, अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए सी. एम. एम./डी. एम. की शक्ति के बारे में दूसरे मुद्दे पर, उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के अलावा, अपने पहले के निर्णय के साथ-साथ दिल्ली और केरल के उच्च न्यायालयों के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधिकरण ने स्पष्ट त्रुटि की है, जिसमें विवादित निर्णय में निर्दिष्ट उसी उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान नहीं देना भी शामिल है। संक्षेप में, मद्रास उच्च न्यायालय ने सुरक्षित लेनदार (बैंक) के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1ए) के संदर्भ में सुरक्षित लेनदार को भेजे जाने के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने के लिए सीएमएम/डीएम के लिए यह खुला है। इस निर्णय को उधारकर्ताओं ने एक विशेष तरीके से चुनौती दी है।

इस न्यायालय के समक्ष याचिका 2 2 छोड़ दें।

7. हमने श्री राणा मुखर्जी, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री विराज कदम, श्री मनीष शंकर श्रीवास्तव, श्री देवेंद्र कुमार को सुना है। सिंह और बैंकों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री एम. एल. गणेश, उधारकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री बी. रघुनाथ और महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री राहुल चिटनिस।

8. जैसा कि पूर्व में कहा गया है, इन सभी मामलों के लिए एकमात्र सामान्य प्रश्न यह हैः क्या सी. एम. एम./डी. एम. 2002 अधिनियम की धारा 14 (1ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वकील नियुक्त कर सकते हैं? यह मुद्दा उक्त प्रावधान में उपयोग की गई अभिव्यक्ति के कारण उत्पन्न होता है, "अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है"।

9. विचाराधीन मुद्दे से निपटने का सबसे पहला निर्णय मुहम्मद अशरफ 2 में केरल उच्च न्यायालय का है।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि

21 2020 22 का सी. आर. पी. No.790 फुटनोट संख्या 7 देखें।

23 फुटनोट संख्या 8 [2022] 1 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

धारा 14 का आदेश सीएमएम/डीएम को व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए बाध्य करता है और

सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लें। इसने नोट किया कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 (2) ने सीएमएम/डीएम को पुलिस सहायता लेने और सभी आवश्यक शक्तियों का उपयोग करने के लिए भी आदेश पारित करने में सक्षम बनाया। सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने में। इस दृष्टिकोण को पुष्ट करने के लिए, साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है जिसमें न्यायालय ने उल्लेख किया है कि वैधानिक शक्तियों का एक स्पष्ट अनुदान इसके साथ आवश्यक रूप से वहन करता है।

इस तरह के अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए सभी उचित साधनों का उपयोग करने का प्राधिकरण निहित है। दूसरे शब्दों में, प्राधिकरण के पास निहित शक्तियाँ थीं

राहत प्रदान करें जो अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है। उस तर्क पर, केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राय दी कि यह मजिस्ट्रेट के लिए खुला होगा, जिसके पास 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत एक अधिवक्ता आयुक्त सहित पुलिस की सहायता लेने सहित सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की शक्ति है ताकि सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित परिसंपत्तियों को लेने में सुविधा हो सके। परिणामस्वरूप, मजिस्ट्रेट सुरक्षित परिसंपत्तियों की पहचान करने और उन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति भी कर सकता है। एस. एल. पी. की बर्खास्तगी के कारण यह निर्णय अंतिम रूप ले चुका है। इस न्यायालय द्वारा 2009 का (सिविल) No.1671 2.2.2009 पर। विशेष रूप से, यह निर्णय धारा 14 के संशोधन से पहले और विशेष रूप से उप धारा (1ए) 2,5 को शामिल करने से पहले दिया गया था। 10. हालाँकि, उपरोक्त निर्णय का पालन केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने किया था

(1(अ) उसमें। उप-धारा (1ए) को शामिल करने के बावजूद, मुहम्मद अशरफ में फैसले के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मुद्दे का जवाब दिया निम्नलिखित शब्दः

" 5. ..... हालांकि पहली नजर में यह शर्मनाक लग सकता है कि ऐसा अधिवक्ता आयुक्त जिले के अधीनस्थ अधिकारी नहीं है।

मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 12 और 17 का संदर्भ

24 (2008) 2 एस. सी. सी. 409 25 2013 के अधिनियम 1, एस. 6 (ख) (डब्ल्यू. ई. एफ. 15.1.2013, वीडियो S.O.171 (ई), दिनांक 15.1.2013) फुटनोट संख्या 9 पर उपरोक्त 26

27 फुटनोट संख्या 8 के. जी. एस. बी. सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह इंगित करता है कि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर पद

मजिस्ट्रेट अदालत को दर्शाता है न कि व्यक्तिगत रूप से अधिकारी को। अ. अधिवक्ता आयुक्त निश्चित रूप से एक अधीनस्थ अधिकारी हैं।

न्यायालय और धारा 14 (1ए) में प्रयुक्त शब्द

सरफेसी अधिनियम को अर्थ के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए

सेवामे अधीनस्थ अधिकारी। संहिता की धारा 284

दंड प्रक्रिया, 1973 वास्तव में एक अधिवक्ता को अधिकार देता है।

प्रक्रिया, 1908 अधिवक्ता आयुक्त को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए गवाहों का साक्ष्य और धारा 75 (जी)

की ओर से अधिवक्ता आयुक्त का मंत्री कार्य अदालत। इस तरह के कार्य का प्रयोग करने वाले अधिवक्ता आयुक्त

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1ए) के तहत केवल

न्यायालय के अधीनस्थ अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना

मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। उधारकर्ता का विवाद

कि अधिवक्ता आयुक्त एक अधिकारी नहीं है

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सेवा में अधीनस्थ और इसलिए अक्षम को ही अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

11. एक बार फिर, उच्च न्यायालय के एक और विद्वान एकल न्यायाधीश

वी. एस. सुनीता28 में इरादा ने इसी विचार को दोहराया और कहा कि

सुरक्षित लेनदार को सहायता प्रदान करने की रणनीति सक्षम है -

सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए एक आयुक्त।

12. यह मुद्दा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष भी उठा था।

चंद्रमोहन 2 9. मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1ए) का पालन करते हुए कहा गयाः

बनाम ः

यही एक सक्षम प्रावधान है जो प्रमुख को शक्ति प्रदान करता है। महानगर दंडाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट किसी को भी अधिकृत करने के लिए

फुटनोट पर ए No.10 ए फुटनोट No.11 [2022] 1 एस. सी. आर.

उससे संबंधित परिसंपत्तियों और दस्तावेजों का कब्जा लेने और परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को अग्रेषित करने के लिए उसके अधीनस्थ अधिकारी

सुरक्षित लेनदारों को। 9. विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 (1-ए) के अनुरूप हैं। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, सुरक्षित लेनदार सुरक्षित लेनदार की संपत्ति और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं। मुख्य महानगर दंडाधिकारी, संपत्ति और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा करने के बजाय, अपनी ओर से दौरा करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त को बहुत अच्छी तरह से नियुक्त कर सकते हैं, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आयोग जारी करने के मामले में होता है, क्योंकि प्रमुख के लिए यह संभव नहीं है।

महानगर मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से भेंट करेंगे

कब्जा कर लीजिए।

10. 2013 के अधिनियम 1 द्वारा जोड़ा गया संशोधन। , धारा 14 (1ए) अधीनस्थ अधिकारियों को उपरोक्त कार्य करने की अनुमति देती है।

अधिनियम और कहीं भी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को संपत्ति और दस्तावेजों का कब्जा लेने और सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने के लिए अपनी ओर से जाने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त को अधिकृत करने से प्रतिबंधित करता है। संशोधन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी संपत्तियों और दस्तावेज़ को अधिकृत करने या कब्जा करने का विवेकाधिकार देता है और उपयोग किया जाने वाला शब्द 'हो सकता है', यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है।

उसके अधीन। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि क़ानून में उपयोग किए गए 'मई' शब्द का पालन केवल निर्देशिका है, इस अर्थ में, उन प्रावधानों का पालन न करने से ऐसा नहीं होगा। कार्यवाही अमान्य है। कभी-कभी 'विल' शब्द भी हो सकता है

निर्देशिका और अनिवार्य नहीं।

इसके बाद इसने दत्तात्रेय में इस न्यायालय के फैसलों को स्वीकार किया।

ओरेश्वर बनाम। बॉम्बे राज्य & Ors.³0, महादेव गोविंद

हार्ज और ओआरएस। बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अपर कृष्णा परियोजना, जामखंडी, कर्नाटक 3 1 और संग्राम सिंह बनाम चुनाव इबनाल, कोटा और Anr.³2 क़ानून की व्याख्या के सिद्धांतों पर

विज्ञापन ने इस प्रकार उल्लेख कियाः

ए. आई. आर. 1952 एससी 181

(2011) 6 एस. सी. सी. 321

एयर 1955 एससी 425 केजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 11.अधिनियम 1 में प्रस्तुत संशोधन का उद्देश्य 2013 मुख्य महानगर को सहायता देना

मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर

अधिवक्ता की नियुक्ति में मजिस्ट्रेट उचित है। अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकृत करने के बजाय आयुक्त

कब्जा करने के लिए। यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिवक्ता

न्यायालय के अधिकारी भी हैं, हालांकि इसके अधीनस्थ नहीं हैं

मुख्य महानगर दंडाधिकारी। न्यायालय के अधिकारियों के रूप में,

अधिवक्ता अपने कर्तव्य का अधिक प्रभावी ढंग से पालन कर सकते हैं

लेने में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अधिकारी

सुरक्षित लेनदार। इस प्रकार, किसी भी मामले में, द्वारा उठाया गया विवाद याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील गुणदोष से रहित है।

(जोर दिया गया)

13. इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय का भी ध्यान गया।

एल. चौधरी 3 3. उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे का जवाब निम्नलिखित में दियाः

5 :

" 3.1 ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राप्तकर्ता को विद्वान द्वारा नियुक्त किया गया है

सीएमएम द्वारा दिनांकित 05.12.2019 आदेश। 4. विद्वान सीएमएम ने लेने के लिए एक वकील नियुक्त किया है

सुरक्षित संपत्ति का अधिकार।

5. याचिकाकर्ता के वकील इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि

विद्वान सी. एम. एम. द्वारा नियुक्त प्राप्तकर्ता ने कब्जा कर लिया है

16.01.2020 पर विषय सुरक्षित संपत्ति।

6. हालाँकि, याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि एक प्राप्तकर्ता के रूप में एक अधिवक्ता की नियुक्ति इसके विपरीत थी

सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 (1ए) के प्रावधान और इसलिए, विद्वान सी. एम. एम. द्वारा पारित आदेश का वह हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए

एक तरफ जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किया था

उपरोक्त विषय।

7. मेरे विचार से, रिट याचिका, वास्तव में, प्रस्तुत की गई है

निष्फल, एक अर्थ में, जिसे प्राप्तकर्ता ने सौंप दिया होगा

सुरक्षित लेनदार के लिए विषय संपत्ति का कब्जा, अर्थात, आंध्र बैंक।

8. फिर भी, मेरे अनुसार, धारा 14 (1ए) की भाषा

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम में "हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है न कि "होगा"।

ए फुटनोट No.12 [2022] 1 एस. सी. आर.

8.1 प्रावधान की सराहना करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले, कि

अधिकारी। दूसरा अर्थ जो प्रावधान पर रखा जा सकता है वह है कि जिला मजिस्ट्रेट/सीएमएम को नियुक्त करने का विवेकाधिकार निहित है

8.2 जिला मजिस्ट्रेट/सी. एम. एम. कब्जा लेने के लिए बाध्य है। एक बार उप-धारा के तहत उस ओर से आवेदन को प्राथमिकता दी जाती है।

(1) सुरक्षित लेनदार द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14।

8.3 इस तरह की शक्ति के प्रयोग में ही सहारा लिया जा सकता है

उप-धारा के प्रावधानों के लिए जिला मजिस्ट्रेट/सीएमएम द्वारा (1(क) धारा 14 की। यह प्रावधान अधिनियम 1 के माध्यम से पेश किया गया था

2013. इससे पहले शायद जिला मजिस्ट्रेट/सीएमएम थे।

धारा 14 की उप-धारा (2) का सहारा लेना और इस प्रकार नियुक्ति करना। प्राप्तकर्ता के रूप में वकालत करता है।

8.4 मेरे विचार से, खंड में उप-धारा (1 ए) को शामिल करने के बाद

14 , एकमात्र परिवर्तन जो लाया गया है वह यह है कि जिला

मजिस्ट्रेट/सीएमएम के पास अब उनकी भी नियुक्ति करने का विवेकाधिकार है। प्राप्तकर्ताओं के रूप में अधीनस्थ अधिकारी।

8.5 उल्लेखनीय है कि धारा 14 की उप-धारा (1 ए) प्रतिबंध नहीं लगाती है।

प्राप्तकर्ताओं के रूप में अधिवक्ताओं की नियुक्ति। एक ही स्थिति

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के नियम 8 (3) के अनुसार प्राप्त करता है।

नियम, 2002, जिसका उल्लेख उपरोक्त निर्णय में किया गया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय।

9. जैसा कि सुबीर चक्रवर्ती के मामले 34 में देखा गया था, जिला

मजिस्ट्रेट और सी. एम. एम. अत्यधिक बोझ तले दबे हैं। स्थिति नहीं है दिल्ली में अलग।

10. इस प्रकार, मेरे विचार में, क्योंकि प्रावधान में विवेकाधिकार निहित है

उचित सावधानी और सावधानी के साथ, अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्राप्तकर्ताओं को दोष नहीं दिया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

जैसा कि निर्णय के निकाले गए भाग से देखा गया है, उच्च न्यायालय ने

दिल्ली के टी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमति जताई

विवादित निर्णय जिस पर निम्नलिखित मामलों में हमला किया गया है

उपहास।

फुटनोट No.17 केजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

14. माना जा सकता है कि एक तरफ तीन न्यायालयों 3-5 और दूसरी तरफ बॉम्बे उच्च न्यायालय के बीच मतभेद है। विवादित निर्णय पर बंबई उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 9 विधायिका की भाषा स्पष्ट है। जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं और इसका मतलब है कि कब्जा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति एक अधिकारी होना चाहिए।

जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर के अधीनस्थ

अधीनस्थ कर्मचारियों को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत बड़ी संख्या में आवेदनों से निपटना एक बाधा लगती है, लेकिन यह क़ानून की भाषा का उल्लंघन करने का कोई आधार नहीं होगा। विधायिका से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जा सकता है। हम वर्तमान आदेश के अंत में ऐसा करने का प्रस्ताव करते हैं।

11 .....

12 उप-नियम 3 7 के अवलोकन से पता चलता है कि कब्जा करने के बाद

अचल संपत्ति अधिकारी द्वारा भौतिक रूप से ले ली जाती है।

उसकी अधिकृत अभिरक्षा देखभाल के लिए सौंपी जा सकती है और

किसी भी अधिकृत या नियुक्त व्यक्ति को संपत्ति का संरक्षण उसके द्वारा। इस प्रकार, किसी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के बाद, इसकी अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंपी जा सकती है जिसे न्यायालय का अधिकारी या न्यायालय का अधिकृत अधीनस्थ कर्मचारी होने की आवश्यकता नहीं है। इससे शायद जिला मजिस्ट्रेटों और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों की आधी समस्या का समाधान हो सकता है।

13 विवादित आदेश के पैराग्राफ नंबर 7 में पीड़ा की पुकार भी उचित है। प्रत्येक दिन, कम से कम दो, यदि तीन नहीं तो तीन याचिकाएं, दया याचिका के माध्यम से दायर की जाती हैं, जिसमें इस न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि चूक करने वाले उधारकर्ता को चूक करने वाले ऋण को चुकाने के लिए कुछ समय दिया जाए ताकि गिरवी रखी गई संपत्ति को बचाया जा सके। व्यापक और विविध तथ्य जैसे कि

केरल, मद्रास और दिल्ली के न्यायालय

ए फुटनोट संख्या 14 पर

8 (3) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 [2022] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बच्चों की परीक्षाएँ आने वाली हैं, बूढ़े और बूढ़े माता-पिता, पैतृक

या मातृ चाची एक बीमारी से पीड़ित हैं और अधीन हैं

पास के अस्पताल में इलाज कराने की गुहार लगाई जाती है। कर्जदार है बकाया चुकाने के लिए किसी अन्य संपत्ति को बेचने का प्रयास करना

राशि आदि। समानताओं का अनुरोध किया जाता है।

14 भारत में न्यायालय न केवल न्याय के न्यायालय हैं, बल्कि

समान रूप से, धारा 14 के तहत पारित आदेशों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन

अंततः याचिकाएँ विफल हो जाती हैं।

15 न्यायालय के लिए यह कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो, पक्षकारों के अधिकार

कानून अनुमति देता है, उधारकर्ता हमेशा बकाया राशि का भुगतान कर सकता है की बिक्री से पहले बैंक या वित्तीय संस्थान को राशि

सुरक्षित परिसंपत्तियाँ होती हैं।

16 विवादित आदेश के दो परेशान करने वाले हिस्सों से निपटा जा रहा है

हम पैराग्राफ में दिए गए निर्देशों को हटाने वाली याचिका का निपटारा करते हैं आक्षेपित आदेश की सं. 7, साथ ही प्राधिकरण को भी समाप्त करना

Ms.Priti एस. चव्हाण के पक्ष में, कब्जा करने के लिए अधिवक्ता

न्यायालय आयुक्त के रूप में प्रतिभूति के लिए विद्वान की आवश्यकता होती है

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त करेंगे

सुरक्षित संपत्ति का कब्जा जो बदले में अभिरक्षा दे सकता है

किसी भी व्यक्ति को।

16 हम तत्काल रिट याचिका में कार्यवाही को समाप्त करते हैं।

यह देखते हुए कि आदेश के गुण-दोष के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने पारित किया

ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया उपरोक्त दृष्टिकोण एक सख्त दृष्टिकोण है।

प्रावधान की एआरएल व्याख्या जैसा कि यह मौजूद है।

15. शुरुआत में, हमें ध्यान देना चाहिए कि अभिव्यक्ति "कोई भी अधिकारी"

द्वारा अधिनियमित कई विधानों 3 8 में उनका उपयोग किया गया है।

महिला और बालिकाओं में अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम, 1956 की धारा 14; अनाथालय और अन्य धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) 960 की धारा 5; मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 166; निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 10 के; वैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43 ए; वन्यजीव (संरक्षण) 972 की धारा 5; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 55 और 165; दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 64; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अनाचार अधिनियम, 1985 की धारा 41; विदेशी व्यापार (विकास और एनकेजीएसबी सीओओपी की धारा 11 और 16।

वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

संसद/राज्य विधानमंडल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53,154 और 311 में और संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अन्य विधान 39 में कुछ हद तक इसी तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जिसमें संबंधित अधिनियम के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बदलाव किया गया है।

विनियमन) अधिनियम, 1992; दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 की धारा 44 (1958 में भी); रासायनिक हथियार संधि अधिनियम, 2000 की धारा 22; रासायनिक हथियारों की रोकथाम की धारा 17।

धन शोधन अधिनियम, 2002; खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30; केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107,108 और 112; भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 8; और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 31। 39 अनुच्छेद 53 ("उनके अधीनस्थ अधिकारी"), अनुच्छेद 154 ("उनके अधीनस्थ अधिकारी" और "राज्यपाल के अधीनस्थ कोई भी प्राधिकरण") और अनुच्छेद 311 ("एक प्राधिकरण")

भारत के संविधान के अधीन); भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 ("ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ पुलिस अधिकारी");

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 2 ("किसी भी पुलिस-बल के अधीनस्थ रैंक के सदस्य") और धारा 7 ("कोई भी पुलिस-अधीनस्थ रैंक का अधिकारी");

कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 8 और 22 ("जेलर के अधीनस्थ अधिकारी") और धारा 48 ("अधीक्षक के अधीनस्थ अधिकारी"); भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 195 ("कलेक्टर के अधीनस्थ कोई भी अधिकारी");

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 एच ("उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी"), और धारा 110 ए और 110 बी ("उसके अधीनस्थ कोई भी व्यक्ति");

भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 की धारा 2 (ए) ("उस अधिकारी के अधीनस्थ कोई भी अधिकारी");

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 39 ("केंद्र सरकार के अधीनस्थ प्राधिकरण" और "राज्य सरकार के अधीनस्थ प्राधिकरण"); केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 2 (जी) ("अधीनस्थ अधिकारी"); सेना अधिनियम, 1950 की धारा 47 ("रैंक में अधीनस्थ");

अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 17 ("उस सरकार के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा" और "राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा") और धारा 23 ("उस सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा");

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 24 ए और 24 बी ("केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ कोई भी अधिकारी") और धारा 43 ("केंद्र सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकरण" और "राज्य

सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकरण"); बाल अधिनियम, 1960 की धारा 56 ("प्रशासक के अधीनस्थ अधिकारी"); [2022] 1 एस. सी. आर.

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 42 ("राज्य सरकार के अधीनस्थ कोई भी व्यक्ति"); पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 21 ("केंद्र सरकार के अधीनस्थ प्राधिकरण" और "ऐसी सरकार के अधीनस्थ प्राधिकरण");

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 34 ("इसके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी") और धारा 154 ("उसके अधीनस्थ कोई भी पुलिस अधिकारी"); विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 12 ("उस सरकार के अधीनस्थ अधिकारी" और "राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी");

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 3 ("पुलिस बल के अधीनस्थ रैंक"), धारा 12 ("अधीनस्थ रैंक के अन्य अधिकारी"), धारा 20 ("उसके अधीनस्थ"), धारा 21 और 25 ("अधीनस्थ रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी"), धारा 58 ("उसके अधीनस्थ अधिकारी"), धारा 70 ("पुलिस आयुक्त के अधीनस्थ कोई भी अधिकारी"), धारा 122 ("अधीनस्थ रैंक का पुलिस अधिकारी") और धारा 147 ("अधीनस्थ रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी")।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 14 ("जिसके अधीन वह अधिकारी है"); होटल-प्राप्ति कर अधिनियम, 1980 की धारा 23 ("उसके अधीन एक आयकर अधिकारी");

बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 17 ए ("अधिकारी, उसके अधीनस्थ"); नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध व्यापार की रोकथाम की धारा 13 ("उस सरकार के अधीनस्थ अधिकारी");

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 93 ("केंद्र सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा"); एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड।

वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

17. इस न्यायालय को ए. सेंट अरुणाचलम के मामले में मोटर वाहन अधिनियम, 19394 0 में समान प्रावधान पर विचार करने का अवसर मिला है।

पिल्लै बनाम मेसर्स। सदर्न रोडवेज लिमिटेड और Anr.4[1]। उस मामले में भी, न्यायालय को मद्रास उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के परस्पर विरोधी विचारों को हल करना पड़ा। एस. कृष्णास्वामी मुदलियार और मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ

एन. आर. बनाम। पी. एस. पलानी पिल्लई और अन्र। 42 इस सवाल पर विचार करने का अवसर मिला कि क्या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राज्य परिवहन आयुक्त के अधीनस्थ थे। उस प्रश्न की जांच करते समय, मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने समक्ष पेश किए गए तीन विचारों पर विचार किया। पहला दृष्टिकोण "प्रशासनिक अधीनता" पर आधारित था,

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 6 ("महानिदेशक के अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारी") और धारा 15 ("महानिदेशक के अधीनस्थ अधिकारी");

नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 46 और 328 ("उसके अधीनस्थ अधिकारी");

कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 54 ("इसके अधीनस्थ अधिकारी"); भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 43 ("कर्मचारी जो उनके अधीनस्थ होंगे"); आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 86 ("बोर्ड के अधीनस्थ कोई भी अधिकारी");

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 ("कोई अन्य अधिकारी जो उसके अधीनस्थ हो"); ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की धारा 45 ("उस सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीनस्थ अधिकारी")

(रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 100 ("केंद्र सरकार के अधीनस्थ प्राधिकरण" और "राज्य सरकार के अधीनस्थ प्राधिकरण")। 4 0 संक्षेप में, "1939 अधिनियम"

41 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1191 (5-न्यायाधीश पीठ) 42 ए. आई. आर. 1957 मद 599 [2022] 1 एस. सी. आर.

दूसरा "कार्यात्मक अधीनता" पर और तीसरा "वैधानिक अधीनता" पर। पूर्ण पीठ ने तीसरे दृष्टिकोण, अर्थात् "वैधानिक अधीनता" को स्वीकार किया, जो एक सुरक्षित और तार्किक दृष्टिकोण है। उस अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राज्य परिवहन आयुक्त के अधीनस्थ नहीं था।

18. 1939 की धारा 44-ए के समान प्रावधान का विश्लेषण करना।

संबंधित विभाग द्वारा जारी आदेशों ने निष्कर्ष निकाला कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिवहन आयुक्त के अधीनस्थ थे। यह भी देखा गया कि व्याख्या के मामले में, प्रावधानों के शब्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यदि वे परिवहन आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी के लिए पर्याप्त हैं, तो उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए। 19. जैसा कि ऊपर कहा गया है, 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1ए) में अभिव्यक्ति के उद्देश्य पर विचार करते समय, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त

2013 के अधिनियम 1 के माध्यम से 15.1.2013 से प्रभावी प्रावधान जोड़ा गया था। स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, जैसे कि असंशोधित अधिनियम के तहत उप-धारा (1ए), सी. एम. एम./डी. एम. धारा 14 (1) के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए लिखित आवेदन पर सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा ले सकता है और 2002 के अधिनियम की धारा 14 (2) के संदर्भ में ऐसा करते समय, सी. एम. एम./डी. एम. के लिए ऐसे कदम उठाने और उपयोग करने या उपयोग करने के लिए खुला था, जो उनकी राय में आवश्यक हो। इसमें किसी भी स्थिति से बचने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता लेना शामिल होगा। कब्जा लेते समय स्थल पर अप्रिय स्थिति या कानून और व्यवस्था की समस्या। 2008 में उस प्रावधान का अर्थ लगाते हुए, केरल के उच्च न्यायालय ने मुहम्मद अशरफ के मामले में विस्तार से कहा

44 फुटनोट संख्या 8 एन. के. जी. एस. बी. सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

शक्ति कथित प्राधिकारी में निहित है और विशेष रूप से क्योंकि अधिवक्ता सीएमएम/डीएम के न्यायालय के अधिकारियों से कम नहीं थे। इस दृष्टिकोण का न केवल केरल के उच्च न्यायालय ने, बल्कि मद्रास और दिल्ली के उच्च न्यायालयों जैसे अन्य उच्च न्यायालयों ने भी लगातार पालन किया है। देश भर के अधिकांश सी. एम. एम./डी. एम. उस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। एकमात्र विसंगत नोट को पहचाना जा सकता है

बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय से जो हमारे समक्ष विवादित है। बंबई उच्च न्यायालय ने सख्त और शाब्दिक का पालन किया है।

व्याख्या नियम और, इस प्रकार, "वैधानिक अधीनता" तर्क को प्राथमिकता दी। इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण केवल तभी कायम रह सकता है जब हम "उसके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी" अभिव्यक्ति का उपयोग करने में उस विधायी इरादे को पूरी तरह से दूसरे विकल्प को खारिज कर दें जिसका 2002 में अधिनियम के प्रारंभ के बाद से पालन किया जा रहा है।

20. वास्तव में, अधिवक्ता के मामले में, "प्रशासनिक अधीनता" या "वैधानिक अधीनता" के तर्क को बढ़ाया नहीं जा सकता है। चूंकि, "सांविधिक अधीनता" का मामला होने के कारण, 2002 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 200245 के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से इस तरह के तंत्र के लिए प्रावधान करना चाहिए। यह 2002 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के बारे में नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि ए. सेंट अरुणाचलम पिल्लई 46 में इस न्यायालय द्वारा विचार किए गए "प्रशासनिक अधीनता" के तर्क को भी लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, अधिवक्ता किसी भी तरह से सी. एम. एम./डी. एम. के कार्यालय के प्रशासनिक ढांचे में फिट नहीं हो सकता है।

21. यह हमें "कार्यात्मक" की तीसरी संभावना के साथ छोड़ देता है।

अधीनता "। उस तर्क को लागू करने के लिए, हमें आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि विचाराधीन प्रावधान अधिवक्ता आयुक्त की आकर्षक सेवाओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक और व्यापक हैं। उस उद्देश्य के लिए, हमें पहले उद्देश्यों और कारणों के कथन का विज्ञापन करना चाहिए जिसके लिए 2002 अधिनियम अधिनियमित किया गया है। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अपनी अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास में सफलता प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में वित्तीय क्षेत्र प्रमुख चालकों में से एक रहा है। जबकि भारत में बैंकिंग उद्योग उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों और लेखा प्रथाओं का पालन कर रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र नहीं करते हैं।

45 संक्षेप में, फुटनोट No.41 सुप्रा [2022] 1 एस. सी. आर. में "2002 नियम" 46।

अन्य प्रतिभागियों की तुलना में एक समान खेल का मैदान है

विश्व में वित्तीय बाजार। कोई कानूनी प्रावधान नहीं है

बैंकों की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की सुविधा प्रदान करना और

वित्तीय संस्थान। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के विपरीत,

भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास नहीं है

प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने की शक्ति। हमारा

इसके परिणामस्वरूप चूक करने वाले ऋणों की वसूली की गति धीमी हो गई और बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का बढ़ता स्तर और

वित्तीय संस्थान। नरसिम्हम समिति I और II और केंद्र सरकार द्वारा गठित अंधारुजिना समिति

बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की जांच करने के उद्देश्य से

कानूनी प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर विचार किया गया

इन क्षेत्रों में। इन समितियों ने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव भी दिए हैं।

प्रतिभूतिकरण और सशक्तिकरण के लिए एक नया कानून बनाना

प्रतिभूतियों का कब्जा लेने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थान

और अदालत के हस्तक्षेप के बिना उन्हें बेचना। उस पर कार्य करना

इन सुझावों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज अध्यादेश का प्रवर्तन,

2002 21 जून, 2002 को विनियमित करने के लिए घोषित किया गया था

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन और संबंधित मामलों के लिए

इसके साथ या उससे आनुषंगिक। अध्यादेश के प्रावधान

वसूली के लिए उपाय अपनाकर परिसंपत्तियों का प्रदर्शन करना या पुनर्निर्माण "।

(जोर दिया गया)

22. 2002 के अधिनियम का अंतर्निहित उद्देश्य सशक्त बनाना है

भारत में वित्तीय संस्थानों के पास उनके द्वारा प्राप्त समान शक्तियाँ हों

सी. आर. पी. एस., अर्थात्, अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ऐसा ही एक

इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को इन पर कब्जा करने और उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाना है। उसी का प्रावधानों में अनुवाद किया गया है

छ. 2002 के अधिनियम के अध्याय 3 के तहत। धारा 13 से संबंधित है -

सुरक्षा हित का सीमेंट। इसकी उप-धारा (4) में एन. के. जी. एस. बी. सहकारी बैंक लिमिटेड की परिकल्पना की गई है।

वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

यदि उधारकर्ता द्वारा उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करने में चूक की जाती है, तो सुरक्षित लेनदार उप-धारा (4) में दिए गए उपायों में से एक या अधिक का सहारा ले सकता है। इनमें से एक उपाय ऋणकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेना है, जिसमें पट्टे के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार भी शामिल है।

सुरक्षित संपत्ति की प्राप्ति के लिए असाइनमेंट या बिक्री। वह, वे 2002 के नियमों के नियम 2 (ए) 47 में परिभाषित अपने "अधिकृत अधिकारी" के माध्यम से कर सकते हैं।

23. सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के बाद, उन्हें पट्टे पर देने, सौंपने या बेचने के लिए आगे के कदम भी सुरक्षित व्यक्ति द्वारा उठाए जा सकते हैं।

लेनदार। हालाँकि, 2002 के अधिनियम की धारा 14 में भविष्यवाणी की गई है कि यदि सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का इरादा रखता है, तो उसे लिखित रूप में एक आवेदन के माध्यम से सीएमएम/डीएम से संपर्क करना चाहिए, और इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, सीएमएम/डीएम को सही तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर एक आदेश पारित करने के बाद, उसे (सी. एम. एम./डी. एम.) 2002 के अधिनियम की धारा 14 (2) के साथ पठित धारा 14 (1) के संदर्भ में सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने के लिए उससे संबंधित सुरक्षित परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 14 (2) एक सक्षम प्रावधान है और सीएमएम/डीएम को ऐसे कदम उठाने और बल प्रयोग करने की अनुमति देता है, जो उनकी राय में आवश्यक हो। यह स्थिति 2013 के संशोधन यानी उप-धारा (1ए) के सम्मिलन से पहले भी प्राप्त की गई थी और आज तक जारी है।

उप-धारा (1ए) को सम्मिलित करने का अर्थ पहली बार सीएमएम/डीएम में नई शक्ति का निवेश करना नहीं है। 47 2. परिभाषाएँ। इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो-(क) "अधिकृत अधिकारी" का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मुख्य प्रबंधक या समकक्ष से कम नहीं, जैसा कि निदेशक मंडल या सुरक्षित लेनदार के न्यासी मंडल द्वारा निर्दिष्ट किया गया है या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण जो अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदार के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, जैसा भी मामला हो, सुरक्षित लेनदार के व्यवसाय या मामलों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करता है; [2022] 1 एस. सी. आर.

25. इस प्रकार समझा जाए तो सवाल यह हैः क्या अतीत का अभ्यास

इसके बाद देश भर की अधिकांश अदालतों ने सी. एम. एम./डी. एम. की एक वकील को आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की शक्ति को मान्यता दी ताकि वह केवल सुरक्षित संपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने में उसकी सहायता कर सके और उसे सुरक्षित लेनदार को भेज सके, जिसे उप-धारा (1ए) को शामिल करने के कारण निषिद्ध होने के रूप में बंद करने की आवश्यकता है। 2002 अधिनियम की धारा 14, जैसा कि संशोधित और हाथ में मामलों पर लागू होती है, इस प्रकार पढ़ती हैः

सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित का कब्जा लेने में सहायता करना संपत्ति। (1) जहाँ किसी भी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा है

सुरक्षित लेनदार द्वारा लिए जाने की आवश्यकता है या यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बेचा या स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है, तो सुरक्षित लेनदार, ऐसी किसी भी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा या नियंत्रण लेने के उद्देश्य से, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला से लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है। मजिस्ट्रेट, जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसी कोई सुरक्षित संपत्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित या पाए जा सकते हैं, उन्हें कब्जा करने के लिए, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, जिला मजिस्ट्रेट, उन्हें ऐसा अनुरोध किए जाने पर -

(क) ऐसी संपत्ति और संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेना।

और; और

(ख) ऐसी परिसंपत्ति और दस्तावेज प्रतिभूति प्राप्त व्यक्ति को अग्रेषित करें।

लेनदारः

बशर्ते कि सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी भी आवेदन के साथ अधिकृत द्वारा विधिवत पुष्टि किया गया एक शपथ पत्र होगा। सुरक्षित लेनदार का अधिकारी, यह घोषणा करते हुए कि

((i) दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि और आवेदन दाखिल करने की तारीख तक बैंक का कुल दावा;

((ii) उधारकर्ता ने विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति हित बनाया है और यह कि बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसी संपत्तियों पर वैध और स्थायी प्रतिभूति हित रखता है और बैंक या वित्तीय संस्थान का दावा इसके अंतर्गत आता है।

सीमा अवधि; केजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

(iii) उधारकर्ता ने विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज बनाया है जिसमें उप-लेख में निर्दिष्ट संपत्तियों का विवरण दिया गया है।

ऊपर खंड (ii);

((iv) उधारकर्ता ने दी गई वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में चूक की है।

राशि; (
v) वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप उधारकर्ता का खाता बंद हो गया है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत;

(vi) यह पुष्टि करते हुए कि धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रावधानों द्वारा आवश्यक साठ दिनों के नोटिस की अवधि, चूक की गई वित्तीय सहायता के भुगतान की मांग की गई है।

उधारकर्ता पर सेवा की;

(vii) ऋणकर्ता से प्राप्त सूचना के उत्तर में आपत्ति या अभ्यावेदन पर सुरक्षित लेनदार द्वारा विचार किया गया है और ऐसी आपत्ति या अभ्यावेदन की अस्वीकृति के कारणों को सूचित कर दिया गया है।

(viii) उधारकर्ता ने ऋण का कोई पुनर्भुगतान नहीं किया है। उपरोक्त सूचना के बावजूद वित्तीय सहायता और इसलिए अधिकृत अधिकारी मूल अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का हकदार है।

((ix) कि इस अधिनियम और बनाए गए नियमों के प्रावधान

इसके तहत अनुपालन किया गया थाः

बशर्ते कि शपथ पत्र की प्राप्ति पर

प्राधिकृत अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर

मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, शपथ पत्र की सामग्री को संतुष्ट करने के बाद लेने के उद्देश्य से उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

तीस दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा

आवेदन की तारीख सेः

बशर्ते कि यदि प्रमुख द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है

उक्त के भीतर महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट

अपने नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीस दिनों की अवधि के बाद, वह

उसी के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करें, इसके भीतर आदेश पारित करें ऐसी आगे की अवधि लेकिन कुल साठ दिनों से अधिक नहीं।

बशर्ते कि शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता में कहा गया हो

पहले परंतुक में पहले से लंबित कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। कोई जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसे -

मामला इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को हो सकता है।

(1ए) जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर

मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है -

ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों का कब्जा लेना

((i)

उससे संबंधित; और

((ख)

ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को अग्रेषित करना

सुरक्षित लेनदार।

उपयोग किए जाने के लिए, ऐसा बल, जो उनकी राय में आवश्यक हो सकता है। (3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिले का कोई कार्य नहीं

मुख्य महानगर द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी मजिस्ट्रेट

इस धारा के अनुसरण में मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रश्न में बुलाया जाएगा।

(जोर दिया गया)

26. 2002 के अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है और

अल स्पष्ट करें कि सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा उनके द्वारा लिया जा सकता है

सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री की पुष्टि से पहले ऋणदाता

बिक्री की पुष्टि के बाद। प्रतिभूत राशियों का कब्जा लेने के लिए, जो बैंक के "अधिकृत अधिकारी" द्वारा किया जा सकता है

2002 के नियमों के नियम 8 में, जो इस प्रकार है:

" 8. अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री। (1) कहाँ सुरक्षित है

संपत्ति एक अचल संपत्ति है, जिसे अधिकृत अधिकारी लेगा। या कब्जा करने का कारण बनता है, एक कब्जे की सूचना देकर

इन नियमों के परिशिष्ट IV में जितना संभव हो उतना तैयार किया गया है, उधारकर्ता और बाहरी हिस्से पर कब्जे की सूचना चिपकाकर

दरवाजे पर या संपत्ति के ऐसे विशिष्ट स्थान पर। (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकार सूचना भी

जितनी जल्दी हो सके प्रकाशित किया जाए, लेकिन किसी भी मामले में इसके बाद नहीं

कब्जा लेने की तारीख से सात दिन, दो प्रमुख दिनों में

समाचार पत्र, स्थानीय भाषा में पर्याप्त मात्रा में

अधिकृत अधिकारी द्वारा उस इलाके में परिसंचरण।

केजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

(2 - ए) इन नियमों के तहत सभी नोटिस उधारकर्ता को नियम 8 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के तहत निर्धारित तरीकों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेवा के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। (3) अचल संपत्ति के कब्जे की स्थिति में वास्तव में अधिकृत अधिकारी द्वारा ली जाती है, ऐसी संपत्ति को उसके पास रखा जाएगा।

अपनी अभिरक्षा में या किसी अधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा में या

उसके द्वारा नियुक्त, जो अपनी अभिरक्षा में संपत्ति की उतनी ही देखभाल करेगा जितनी सामान्य विवेक का मालिक करेगा,

समान परिस्थितियों में, ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण करें।

(4) अधिकृत अधिकारी संरक्षण के लिए कदम उठाएगा और सुरक्षित परिसंपत्तियों का संरक्षण और यदि आवश्यक हो तो उनका बीमा करना, जब तक कि

उन्हें बेचा जाता है या अन्यथा निपटाया जाता है। (5) नियम 9 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अचल संपत्ति की बिक्री करने से पहले, अधिकृत अधिकारी किसी अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से संपत्ति का मूल्यांकन प्राप्त करेगा और सुरक्षित लेनदार के परामर्श से संपत्ति का आरक्षित मूल्य निर्धारित करेगा और निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से ऐसी अचल सुरक्षित संपत्ति का पूरा या कोई भी हिस्सा बेच सकता है:

(क) समान सुरक्षित परिसंपत्तियों से निपटने वाले या अन्यथा खरीदने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से उद्धरण प्राप्त करके

ऐसी परिसंपत्तियाँ; या

(ख) जनता से निविदाएं आमंत्रित करके;

(ग) ई-नीलामी मोड सहित सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके; या

((घ) निजी संधि द्वारा।

बशर्ते कि अचल संपत्ति की बिक्री के मामले में

जम्मू और कश्मीर राज्य, जम्मू के प्रावधान और

कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1977 उस व्यक्ति पर लागू होगा।

जो राज्य में ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है। (6) प्राधिकृत अधिकारी उधारकर्ता को अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए तीस दिनों का नोटिस देगा।

नियम (5):

बशर्ते कि यदि ऐसी सुरक्षित संपत्ति की बिक्री या तो जनता से निविदाएं आमंत्रित करके या सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके की जा रही है, तो सुरक्षित लेनदार [2022] 1 एस. सी. आर. में सार्वजनिक सूचना देगा।

परिशिष्ट IV-A में दिया गया प्रपत्र दो प्रमुख रूपों में प्रकाशित किया जाएगा

स्थानीय भाषा में समाचार पत्र सहित व्यापक

इलाके में परिसंचरण।

(7) बिक्री की प्रत्येक सूचना अचल संपत्ति के विशिष्ट भाग पर चिपकाई जाएगी और अधिकृत अधिकारी सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पर बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों को अपलोड करेगा, जिसमें शामिल होंगेः

(क) बेची जाने वाली अचल संपत्ति का विवरण, जिसमें ज्ञात बोझ का विवरण भी शामिल है।

सुरक्षित लेनदार;

(ख) प्रतिभूति ऋण जिसकी वसूली के लिए संपत्ति है

बेचा जाता है;

(ग) नीचे दी गई अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों का आरक्षित मूल्य

जिसे संपत्ति नहीं बेची जा सकती है;

(घ) सार्वजनिक नीलामी का समय और स्थान या उसके बाद का समय।

किसी अन्य तरीके से बिक्री पूरी की जाएगी।

(ई) बकाया राशि का जमा, जैसा कि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

सुरक्षित लेनदार;

(च) कोई अन्य नियम और शर्तें, जिन्हें प्राधिकृत किया गया हो

अधिकारी एक खरीदार के लिए यह जानना आवश्यक समझता है कि

संपत्ति की प्रकृति और मूल्य।

(8) सार्वजनिक नीलामी या सार्वजनिक निविदा के अलावा किसी भी तरीके से बिक्री, ऐसी शर्तों पर होगी जो प्रतिभू के बीच तय की जा सकती हैं।

लेनदार और प्रस्तावित खरीदार लिखित रूप में।

27. हालाँकि, 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1) के संदर्भ में सुरक्षित परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सुरक्षित लेनदार लिखित रूप से सीएमएम/डीएम से संपर्क करने के लिए बाध्य है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का अनुरोध करने वाला आवेदन और

28. सी. एम. एम./डी. एम. पर आदेशित वैधानिक दायित्व यह है कि उस उद्देश्य के लिए सुरक्षित लेनदार से 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाए। जैसे ही इस तरह का आवेदन प्राप्त होता है, सीएमएम/डीएम से उम्मीद की जाती है कि 2002 एन. के. जी. एस. बी. सहकारी बैंक लिमिटेड की धारा 14 (1) में प्रावधान में निर्दिष्ट सुरक्षित लेनदार द्वारा सभी औपचारिकताओं के अनुपालन के सत्यापन के बाद एक आदेश पारित करना।

वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिनियम बनाना और उस संबंध में संतुष्ट होने के बाद, उससे संबंधित सुरक्षित परिसंपत्तियों और दस्तावेजों का कब्जा लेना और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करना। बाद वाला एक मंत्रिस्तरीय कार्य है। यह देरी को रोक नहीं सकता है। समय का महत्व है। यह विशेष अधिनियम की भावना है। हालांकि, यह आम जानकारी है कि सीएमएम /

डी. एम. को सीमित संसाधन प्रदान किए जाते हैं। यह अनिवार्य रूप से सीएमएम/डीएम के लिए विशेष कानून की भावना को बनाए रखने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना मुश्किल बनाता है, यदि असंभव नहीं है।

29. यह सामान्य ज्ञान है कि संबंधित क्षेत्राधिकार में केवल एक सीएमएम/डीएम है। यदि उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कब्जा करने के लिए स्वयं हर स्थान पर पहुंचे, तो कुछ क्षेत्राधिकारों में यह होगा

एक वाणिज्यिक शहर होने के कारण दिए गए अधिकार क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण ऐसा करना, यदि असंभव नहीं तो अव्यावहारिक है।

प्रावधान। तथापि, हम यह विचार रखने के लिए राजी हैं कि एक अधिवक्ता को 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1 ए) के प्रयोजनों के लिए न्यायालय का एक अधिकारी और सीएमएम/डीएम का अधीनस्थ माना जाना चाहिए। 30. इसके अलावा, जैसा कि उप-धारा (1 ए) को शामिल करने से पहले प्राप्त होने वाली स्थिति थी, जिसमें सीएमएम/डीएम किसी अधिवक्ता या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी की सेवाओं का लाभ उठा सकते थे।

सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने का मंत्रिस्तरीय कार्य, उसे इसका पालन जारी रखने से कुछ भी नहीं रोकता है

उप-धारा (1 ए) को शामिल करने के बाद भी वही व्यवस्था। साथ ही, 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत पारित आदेश के परिणामस्वरूप सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने का कार्य सौंपते हुए -

अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को, सीएमएम/डीएम को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने में विवेक का प्रयोग करना चाहिए जो उसके द्वारा पारित आदेशों को लागू करने में सक्षम हो। केवल इसलिए कि उसके पास अपने अधीनस्थ "किसी भी" अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति है, यह उसे चपरासी या क्लर्क नियुक्त करने की अनुमति नहीं देगा।

जो स्थिति को संभालने में असमर्थ है। 31. चाहे जो भी हो, धारा में "कोई भी" अभिव्यक्ति को 2002 के अधिनियम या 2002 के नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। तो भी, अभिव्यक्तियाँ

" अधिकारी "और" अधीनस्थ "को एकल या सामूहिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी 48 में दी गई अभिव्यक्ति "कोई भी" का अर्थ इस प्रकार है:

" कोई भी। कुछ; कई में से एक; एक अनिश्चित संख्या। एक.

निगम बनाम। विंटन, सी. सी. ए. टेन। , 131 एफ. 2 डी 780, 782. एक या कुछ (अनिश्चित काल के लिए)। स्लेगल वी। स्लेगल, 135 N.J.Eq। 5, 37 ए. 2 डी 57,

58. " "कोई भी" का मतलब जरूरी नहीं कि केवल एक व्यक्ति हो, लेकिन हो सकता है

एक से अधिक या कई का संदर्भ है। डोहर्टी वी. राजा,

Tex.Civ.App। , 183 S.W.2d 1004,1007।

शब्द "कोई भी" के अर्थ में विविधता है और इसका उपयोग किया जा सकता है।

"सभी" या "प्रत्येक" के साथ-साथ "कुछ" या "एक" को इंगित करने के लिए

और किसी दिए गए कानून में इसका अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है और कानून की विषय वस्तु। डोनोह्यू वी. ज़ोनिंग बी. डी.

यह अक्सर "या तो", "प्रत्येक" या "सभी" का पर्यायवाची होता है। इसका सामान्यता संदर्भ द्वारा प्रतिबंधित हो सकती है; इस प्रकार, देना

"किसी भी समय" कुछ कार्य करने के अधिकार का आमतौर पर इस प्रकार अर्थ लगाया जाता है -

एक उचित समय के भीतर अर्थ; और शब्द "कोई अन्य" विशेष वर्गों की गणना के बाद के रूप में पढ़ा जाना है

“ अन्य जैसे, "और केवल समान प्रकार या चरित्र के अन्य लोगों को शामिल करें।"

(जोर दिया गया)

32. ब्लैक के कानून में परिभाषित "अधिकारी" अभिव्यक्ति

onary4 9 इस प्रकार पढ़ता हैः

" अधिकारी। (14(ग) 1. कोई जो विश्वास का पद रखता है, अधिकार, या आदेश। ● सार्वजनिक मामलों में, यह शब्द विशेष रूप से संदर्भित करता है।

किसी राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय के अधीन सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति को सरकार, और उस सरकार द्वारा कुछ प्रयोग करने के लिए अधिकृत

विशिष्ट कार्य। निगमित कानून में, यह शब्द विशेष रूप से संदर्भित करता है। एक व्यक्ति के लिए

दैनिक का प्रबंधन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्वाचित या नियुक्त

निगम के संचालन, जैसे कि सीईओ, अध्यक्ष, सचिव, या खजांची। सी. एफ. निदेशक (2)।

(जोर दिया गया)

33. पी. रामनाथ अय्यर की रचना में "अधीनस्थ" शब्द दिया गया है।

एन. एस. डी. लॉ लेक्सिकन 50 इस प्रकार पढ़ता हैः

" अधीनस्थ "परिभाषित। अधिनियम 24,1859, धारा 1; पागल अधिनियम 3,1909,

खंड 2.

संस्करण

आई. एम. ई. 4 (छठा संस्करण)

केजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

निम्न श्रेणी, श्रेणी, वर्ग या क्रम से संबंधित; आश्रित

दूसरे के अधिकार या शक्ति पर [धारा 121, भारतीय

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1)]; एक व्यक्ति या चीज जिसे निम्न श्रेणी दी गई है। बिना किसी योग्यता के 'अधीनस्थ' शब्द का उपयोग करके

शब्दों में, विधायिका ने अपने विधायी को व्यक्त किया है ऐसे अधीनस्थों को भी दंडनीय बनाने का इरादा जो

उन कार्यों से कोई संबंध नहीं है जिनके साथ

व्यवसाय या लेन-देन का संबंध है। सहायक नियंत्रक आयात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में आयात का

और निर्यात के माध्यम से संयुक्त मुख्य नियंत्रक का अधीनस्थ है

रिश्वत की स्वीकृति का अपील से कोई लेना-देना नहीं है।

नियमों के नियम 14 (2) में आने वाली 'अधीनस्थ' अभिव्यक्ति पर रखा गया निर्माण संविधान के अनुच्छेद 311 (1) में आने वाले 'अधीनस्थ' शब्द के अर्थ और महत्व के अनुरूप है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिबंध लगाता हो सरकार को किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अधिकार नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग करने से। इन नियमों को इस आशय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि बर्खास्तगी उसी प्राधिकरण द्वारा होनी चाहिए।

जिसने नियुक्ति की या अपने तत्काल वरिष्ठ द्वारा। अनुच्छेद 311 (1) का अनुपालन तब होता है जब बर्खास्त करने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी से पद या श्रेणी में कम नहीं होता है। [सरकार. ए. पी. बनाम एन. रामानाय्या, (2009) 7 एस. सी. सी. 165,172, पैरा 23,24]

सभी एलजे 104: 1962 सभी डब्ल्यूआर (एचसी) 91: (1962) 1 एलएलजे 19: (1961) 3 फेस एल. आर. 445: (1962-63) 23 एफजेआर 624: ए. आई. आर. 1962 सभी 620 [कामगारों का] क्षतिपूर्ति अधिनियम (1923 का 8), धारा 2 (1) (च)] [2022] 1 एस. सी. आर.

'अधीनस्थ' शब्द का अर्थ न्यायिक या अर्ध न्यायिक भी है।

समेकन निदेशक के प्रशासनिक अधीनता। राम नारायण बनाम समेकन निदेशक, ए. आई. आर. 1965 सभी 172,173। [यू. पी. होल्डिंग्स का समेकन अधिनियम (1954 का 5), धारा 48 (1963 में संशोधित), धारा 48]

धारा 133-ए में बनाए गए प्रावधान पहले से ही थे जब मद्रास अधिनियम (1948 का XX) द्वारा धारा 44-ए को अधिनियम में जोड़ा गया था। बाद के अधिनियम में "अधीनस्थ" शब्द की कोई अलग परिभाषा नहीं है। स्वाभाविक रूप से, कोई परिभाषा नहीं थी धारा 133 में पहले से किए गए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए आवश्यक

ए. यह मान लिया जाना चाहिए कि मद्रास विधानमंडल धारा 133-ए के अस्तित्व से अवगत था जब उसने धारा 44-ए पेश की थी, और जब उसने उस धारा में "अधीनस्थ" शब्द का उपयोग किया था, तो इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि "अधीनस्थ" शब्द को केवल इस तरह से समझा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 133-ए में कौन सा प्रावधान पहले ही किया जा चुका था। कृष्ण स्वामी मुदलियार बनाम पलानी पिल्लई, एमएलजेः क्यू. डी. (1956-1960) Vol.IV सी151: (एस) एयर 1957 मैड 599 (एफ. बी.)। [मोटर वाहन अधिनियम (1939 का 4), धारा 133-ए]

अनुच्छेद 311 (1) में आने वाले 'अधीनस्थ' शब्द का संदर्भ पद में अधीनता के लिए है न कि शक्तियों के संबंध में अधीनता के लिए।

और कर्तव्य। अनुच्छेद 311 (1) को इस आशय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि निष्कासन उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जिसने नियुक्ति की थी या

भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (1) में 'अधीनस्थ' शब्द का अर्थ है पद में अधीनता और कार्य की अधीनता नहीं। महादेव प्रसाद रॉय बनाम। एस. एन. चटर्जी, ए. आई. आर. 1954 पैट 285। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (1) में 'अधीनस्थ' शब्द का अर्थ है पद में अधीनस्थ और प्रयोग किए गए कार्यों के संदर्भ में नहीं। नतीजतन जब नियुक्ति अधिकारी के बराबर रैंक का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं होगा तो बर्खास्तगी या हटाने का आदेश उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा पारित करना होगा। इस तरह का आदेश किसी भी परिस्थिति में कम रैंक के अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। कोई नियम या कानून जो ऐसी कार्रवाई की अनुमति देता है।

अनुच्छेद के. जी. एस. बी. सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रावधानों का उल्लंघन करने के रूप में अधिकार से बाहर माना जाना चाहिए।

वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

311 (1) संविधान से। गुरमुख सिंह बनाम यूओआई, नई दिल्ली,

एमएलजेः क्यूडी (1961-1965) Vol.II सी1050: 65 पुंज एलआर 964: आकाशवाणी 1963 पी एंड एच 370

मूल से मुकदमों के हस्तांतरण आवेदनों के उद्देश्यों के लिए

उच्च न्यायालय की ओर मूल पक्ष में बैठे न्यायाधीश हैं

उच्च न्यायालय के अपीलीय पक्ष के अधीनस्थ। (आकाशवाणी 1923

रंग। 22) "

(जोर दिया गया)

34. अभिव्यक्ति "अधीनस्थ अधिकारी" जैसा कि में परिभाषित किया गया है

अतरमैया का लॉ लेक्सिकन एंड लीगल मैक्सिम्स 5 1 इस प्रकार पढ़ता हैः

" अधीनस्थ अधिकारी। " — इसका सटीक उद्देश्य क्या है?

"कोई भी अधीनस्थ अधिकारी" अभिव्यक्ति के घटक शब्द

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के Sec.44-A में। " कोई भी "एक शब्द है जिसमें सीमा या योग्यता शामिल नहीं है। इसका मतलब व्यापक है।

व्यापकता। इसका उपयोग एक वितरण निर्माण की ओर इशारा करता है। द.

"कोई भी" शब्द का उपयोग "किसी भी शरीर", "किसी भी व्यक्ति" के अर्थ में किया जाता है।

वह व्यक्ति जिसे प्राधिकरण के साथ निवेश किया गया है और जिसकी आवश्यकता है

एक कार्यालय के लिए आनुषंगिक कर्तव्यों का पालन एक अधिकारी करता है। के लिए

यह निर्धारित करना कि अधिकारी अधीनस्थ हैं या नहीं

यह नहीं है कि क्या उनके निर्णयों की समीक्षा के रूप में

अर्ध-न्यायिक हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रदर्शन में

उनके विभिन्न कर्तव्यों के लिए वे निर्देश के अधीन हैं और

एक वरिष्ठ अधिकारी का नियंत्रण, या स्वतंत्र अधिकारी हैं केवल ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो क़ानून देता है। - बी.

वीरास्वामी वी. आंध्र प्रदेश राज्य, (1959) आंध्र। W.R.308

पी पर। 314 : ए. आई. आर. 1959 ए. पी. 413 (एफ. बी.) "

(जोर दिया गया)

35. अभिव्यक्ति "अधिकारी, अधीनस्थ" और "अधिकारी"

जैसा कि पी. रामनाथ अय्यर के उन्नत कानून में दिया गया है

कोन 52 इस प्रकार पढ़िएः

" अधिकारी, अधीनस्थ। निम्न श्रेणी के अधिकारी,

ग्रेड, क्लास या ऑर्डर। उनके अधीनस्थ अधिकारी। मंत्री अधीनस्थ अधिकारी होता है।

राज्यपाल को। शिव बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर 1953 एस. सी. 394 "।

III (दूसरा संस्करण)

मुझे 3 (छठा संस्करण)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. जहां तक सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की प्रक्रिया का संबंध है, इसे धारा 13 के साथ धारा 14 से समझा जा सकता है।

2002 एक्ट करें। धारा 13 (4) सुरक्षित लेनदार को एक या अधिक निर्दिष्ट उपायों का सहारा लेने की अनुमति देती है; और सुरक्षित लेनदार को बिक्री की पूर्व-पुष्टि के चरण में भी ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए; धारा 14 के संदर्भ में, सीएमएम/डीएम के पास उस उद्देश्य के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर आदेश पारित करने के बाद भी इस संबंध में शक्ति है। एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद, सीएमएम/डीएम पर लगाए गए वैधानिक दायित्व का उस हद तक निर्वहन किया जाता है। अगला अगला कदम सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेना है। यही मंत्रिस्तरीय कदम है। इसे सी. एम. एम./डी. एम. स्वयं या उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के माध्यम से लिया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं -

अधिवक्ता आयुक्त जिसे उसके न्यायालय का अधिकारी माना जाता है। अधिवक्ता आयुक्त कोई नई अवधारणा नहीं है। अधिवक्ताओं को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार विविध प्रशासनिक और मंत्रिस्तरीय कार्य करने के लिए न्यायालय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता। अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी होता है। वर्जीनिया लॉ रिव्यू में निम्नलिखित शब्दों में इसकी व्याख्या की गई है:

" न्यायालय के प्रति वकील के कर्तव्य सीधे यहाँ से उत्पन्न होते हैं

वह संबंध जो वह एक अधिकारी के रूप में न्यायालय के साथ रखता है न्याय का प्रशासन। कानून केवल एक निजी काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा पेशा है जिसे राज्य की न्यायिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग होने का गौरव प्राप्त है। एक अधिकारी के रूप में

इसलिए, न्यायालय का वकील न्यायालय की गरिमा और अखंडता को बनाए रखने के लिए बाध्य है; शब्दों और कार्यों दोनों में न्यायालय के लिए हर समय सम्मान का प्रयोग करने के लिए; उसके मुवक्किल का मामला खुले तौर पर, न्यायाधीश या जूरी पर निजी प्रभाव डालने के किसी भी प्रयास से बचने के लिए सावधान रहना; और अदालत के साथ सभी व्यवहारों में स्पष्ट और स्पष्ट होना, "किसी भी छल, अधिरोपण या चोरी का उपयोग नहीं करना", जैसे कि गवाहों की गलत व्याख्या या गलत उदाहरणों का हवाला देना। दिसंबर, 1911 में मिल्वौकी काउंटी बार एसोसिएशन के समक्ष एक संबोधन में श्री क्रिश्चियन डोर्फलर कहते हैं, "यह हमेशा समझना चाहिए कि कानून का पेशा स्थापित किया गया है।

प्रशासन की सहायता के उद्देश्य से पुरुषों के बीच

न्याय। न्याय के उचित प्रशासन का मतलब यह नहीं है कि

वकील को मुकदमा जीतने में सफल होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह

उचित रूप से न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना चाहिए

तथ्य और कानून के माध्यम से सब कुछ जो उपलब्ध है और

53 खण्ड. 11 , सं. 4 (फरवरी 1925) पीपी।

263-77 एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

मामला। जहाँ तक उसके मुवक्किल का संबंध है, उसका कर्तव्य केवल यह है कि कानूनी रूप से मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। जहाँ तक उसका कर्तव्य है

जनता का संबंध है और जहाँ तक वह न्यायालय का अधिकारी है न्याय के प्रशासन में सहायता और सहायता करना है।

(जोर दिया गया)

37. ब्लैक के कानून में उच्चारण का विज्ञापन करना उपयोगी होगा।

"न्यायमित्र" अभिव्यक्ति के संबंध में शब्दकोश 54 जो इस प्रकार हैः

" न्यायमित्र। [लैटिन "दरबार का मित्र"] (17 सी) कोई

जो मुकदमे में पक्षकार नहीं है लेकिन जो अदालत में याचिका दायर करता है या है अदालत द्वारा कार्रवाई में एक संक्षिप्त फाइल करने का अनुरोध किया गया क्योंकि

व्यक्ति की विषय वस्तु में गहरी रुचि होती है। अक्सर संक्षिप्त में एमिकस। अदालत का मित्र भी कहा जाता है। पीएल।

क्यूरी दोस्तों "

38. यहाँ तक कि इस न्यायालय को भी भूमिका के बारे में विस्तार से बताने का अवसर मिला

ललित मोहन दास बनाम में अदालत के एक अधिकारी के रूप में अधिवक्ता। महाधिवक्ता, उड़ीसा और Anr.55। संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

“ (11) ... . बार का एक सदस्य निस्संदेह अपना कर्तव्य निभाता है। मुवक्किल और न्यायालय के समक्ष वह सब कुछ रखना चाहिए जो निष्पक्ष रूप से और

अपने मुवक्किल की ओर से उचित रूप से प्रस्तुत किया जाए। वह भी हो सकता है प्रस्तुत करें कि एक विशेष आदेश सही नहीं है और एक के लिए पूछ सकता है

न्यायालय का एक अधिकारी है और न्यायालय के प्रति कर्तव्य रखता है जो वह प्रकट हो रहा है। उसे गरिमा बनाए रखनी चाहिए और

न्यायालय की गरिमा और लाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए

न्यायालय स्वयं बदनाम हो जाता है। .....

(जोर दिया गया)

39. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक अधिवक्ता एक संरक्षक है

न्यायाधीश के साथ समान रूप से संवैधानिक नैतिकता और न्याय। न्यायाधीश के रूप में उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वह समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है और उससे न्याय के लिए अत्यंत ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। उसका पहले अदालत के प्रति कर्तव्य है। अदालत के एक अधिकारी के रूप में, वह एक उच्च उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखता है और इसमें शामिल नहीं हो सकता है।

जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से बताना या उस मामले के लिए किसी भी सामग्री को छिपाना

उसके ज्ञान के भीतर तथ्य। ओ. पी. शर्मा और अन्य के मामले में। बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ", न्यायालय ने कहा कि सभी पेशेवर कार्यों में, एक अधिवक्ता को मेहनती होना चाहिए और उसका आचरण कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए जिसके द्वारा वह समाज और न्याय प्रणाली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में, वह कानून के शासन और न्याय प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक उच्च दायित्व के अधीन है।

40. यह ध्यान दिया जाए कि 2002 के अधिनियम की धारा 38 केंद्र सरकार को 2002 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। उप-इसकी धारा (2) धारा 14 में उपबंधित मामले के संबंध में नियम बनाने की शक्ति को विशेष रूप से/स्पष्ट रूप से संदर्भित नहीं करती है। उसमें उल्लिखित अन्य प्रावधानों के विपरीत। हालांकि, केंद्र सरकार के लिए यह खुला है कि वह धारा 38 की उप धारा (2) के खंड (जी) को लागू करके इस संबंध में नियम बनाए। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 38. केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। (1) .

(a) से (fc)। (
छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है, जिसके संबंध में प्रावधान नियमों द्वारा किया जाना है या किया जा सकता है।

41. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा 2002 के अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1ए) के संदर्भ में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है, जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से कम है जो सीएमएम/डीएम को सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त करने से रोकता है। इसकी अनुपस्थिति में, सगाई का बहिष्कार

एक अधिवक्ता को आयुक्त के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

42. जबकि, "कार्यात्मक अधीनता" परीक्षण को लागू करते हुए, हम यह विचार लेने के लिए राजी हैं कि धारा 14 की उप-धारा (1ए) 2002 अधिनियम सी. एम. एम./डी. एम. के लिए एक वकील (अदालत के एक अधिकारी) की सेवाओं को संलग्न करने में कोई बाधा नहीं है-केवल सुरक्षित संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने और सी. एम. एम./डी. एम. द्वारा पारित आदेशों को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित लेनदार को भेजने के लिए।

उस संबंध में 2002 अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत। ऐसा नहीं है कि इस तरह से नियुक्त अधिवक्ता को सी. एम. एम./डी. एम. के कार्यालय में या सार्वजनिक सेवा में रोल पर होना चाहिए। सी. एम. एम./डी. एम. और अदालत के एक अधिकारी होने के नाते अधिवक्ता के बीच आंतरिक न्यायिक कार्यात्मक अधीनस्थ संबंध होता है। ऋणकर्ताओं की अनुचित होने की आशंका 56 (2011) 6 एस. सी. सी. 86 (पैरा 38)

एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. सुबीर चक्रवर्ती

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिवक्ता आयुक्त द्वारा 2002 अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत पारित सीएमएम/डीएम के आदेशों का निष्पादन स्पष्ट रूप से गलत है। इसके अलावा, अदालत का एक अधिकारी होने के नाते और सी. एम. एम./डी. एम. द्वारा नियुक्त होने के नाते, अधिवक्ता आयुक्त द्वारा किए गए कार्यों को सी. एम. एम./डी. एम. द्वारा अधिकृत अधिकारी के रूप में 2002 अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत छूट प्राप्त होगी। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सीएमएम/डीएम द्वारा नियुक्त अधिवक्ता उसे सौंपे गए कार्य का दुरुपयोग करेगा और इसे कानून के अनुसार सख्ती से नहीं किया जाएगा या यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला होगा। बल्कि, अदालत के अधिकारी अधिवक्ताओं पर व्यक्त संस्थागत विश्वास या विश्वास के अनुसार, यह धारणा होनी चाहिए कि यदि किसी अधिवक्ता को 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत सीएमएम/डीएम द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उस जिम्मेदारी और कर्तव्य का ईमानदारी से और कानून के नियमों के अनुसार निर्वहन किया जाएगा। 43. अब तक हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के लिए, सतीदेवी बनाम प्रसन्ना & Anr.57, M/s में व्याख्या। हीरालाल रतनलाल आदि। बनाम राज्य

यू. पी. और ए. एन. आर. आदि। 58 , और दीपक बाबरिया और अन्र। बनाम गुजरात राज्य और Ors.59, उधारकर्ताओं के लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। इसमें, हमने कैसस ओमिसस के सिद्धांत का आह्वान नहीं किया है। हमारे विचार में, कानून में, एक अधिवक्ता अदालत का एक अधिकारी होता है और इस प्रकार, सीएमएम/डीएम के अधीनस्थ होता है। इसके अलावा, 2002 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि

इस तरह की व्याख्या को हटा दें। इसी कारण से, एजुस्डेम जेनरिस या नोसिटुर ए सोसाइटिस के सिद्धांत को लागू करने के संबंध में याचिका और उसके लिए

इस मामले में भी हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।

44. सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक बनाम डी. विशालाक्षी और Anr.60 में इस न्यायालय के आदेश पर भरोसा करेंगे, जिसमें

इस न्यायालय ने एक ओर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरी ओर सी. एम. एम./डी. एम. की गतिविधियों की प्रकृति पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि सी. जे. एम. 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए सुरक्षित लेनदार के अनुरोध को संसाधित करने में सक्षम है। हालाँकि, अब तक इस विचार पर विचार करते हुए कि अधिवक्ता को अदालत का एक अधिकारी माना जाना चाहिए और कानूनी रूप से, उनके अधिकार क्षेत्र में संबंधित सीएमएम/डीएम के अधीनस्थ माना जाना चाहिए, उस निर्णय पर विस्तार करना अनावश्यक है। "कार्यात्मक अधीनता" परीक्षण को लागू करने में यह व्याख्या, विधायी इरादे और 2002 के अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी। हम मानते हैं कि यह सीएमएम/डीएम के लिए एक नियुक्त करने के लिए खुला होगा

57 (2010) 5 एस. सी. सी. 622 58 (1973) 1 एससीसी 216

59 (2014) 3 एस. सी. सी. 502

60 (2019) 20 एस. सी. सी 47

61 संक्षेप में, "सीजेएम"

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. दुर्भाग्य से, वर्तमान अपीलों में आक्षेपित बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को एक अच्छा कानून नहीं घोषित किया गया है। जबकि, हम विचाराधीन प्रश्न पर तीन उच्च न्यायालयों, अर्थात् केरल, मद्रास और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के निष्कर्ष को बरकरार रखते हैं। 46. हालाँकि, हम अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए सी. एम. एम./डी. एम. की शक्ति के बारे में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार से सहमत हैं।

आयुक्त, फिर भी उधारकर्ताओं द्वारा दायर 2020 की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 12011 को अलग करने और प्रवेश के लिए अलग से सुनने की आवश्यकता है, जो 2002 अधिनियम की धारा 14 के खंड (i) से (ix) के अनुपालन या गैर-अनुपालन के बारे में पहले मुद्दे तक सीमित है। उस मुद्दे का जवाब उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 10 और 11 में सुरक्षित लेनदार के पक्ष में और उधारकर्ताओं के खिलाफ दिया है। जिसकी शुद्धता पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा।

47. उपरोक्त को देखते हुएः

(i) सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर अपील 6 3 की अनुमति है। नतीजतन, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और विषय रिट याचिका 64 खारिज हो जाती है। ((ii) मद्रास उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश के खिलाफ उधारकर्ताओं द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के लिए अलग किया गया है।

वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में 2002 अधिनियम की धारा 14 के खंड (i) से (ix) के अनुपालन या गैर-अनुपालन के संबंध में सीमित मुद्दे (पहला मुद्दा) पर स्वीकार करने के लिए सुनवाई की जा रही है।

(iii) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों

का निपटारा किया गया।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए) 62 फुटनोट संख्या 5 देखें।

63 सिविल अपील संख्या 2022 @2019 की एसएलपी (सिविल) No.30240; सिविल अपील संख्या 2022 @2020 की एसएलपी (सिविल) No.2055; सिविल अपील संख्या 2022 @एसएलपी (सिविल) संख्या 2022 @2020 की डायरी No.17059 और सिविल अपील संख्या 2022 @एसएलपी (सिविल) संख्या 2022 @2020 की डायरी No.23733 [फुटनोट संख्या 5]

64 2019 की लिखित याचिका (एल) No.28480 [फुटनोट No.17] 2020 की 65 एसएलपी (सिविल) संख्या 12011 [फुटनोट संख्या 7]